भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1512

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

एक राष्ट्र एक चुनाव

+1512. श्री देवजी पटेल :

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ :

श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार देश में एक राष्ट्र एक चुनाव आयोजित कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और अन्य हितधारकों से परामर्श किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या रहे ;

(ङ) क्या सरकार उक्त प्रस्ताव के फायदे- नुकसान का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित करने पर भी विचार कर रही है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (च) : कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने विभिन्न पणधारियों जिसके अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग भी है, से परामर्श करके लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ निर्वाचन कराने के मुद्दे की परीक्षा की थी । समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में इस संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं । मामले को अब आगे की परीक्षा हेतु विधि आयोग को निर्दिष्ट कर दिया गया है ताकि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ निर्वाचन कराने के लिए व्यवहारिक रुप रेखा और ढांचा तैयार किया जा सके ।

****